कोटा विश्वविद्यालय, कोटा

महाराव भीमसिंह मार्ग, कबीर सर्किल के पास, कोटा

क्रमांक–एफ–4 ( )/सा.प्र.–खेल मण्डल/को.वि.को./2026/9413 दिनांकः 01.10.2026

निविदा प्रपत्र

निविदा सूचना संख्या – 23/2026–27

(तकनीकी निविदा–पार्ट–अ)

(निविदा दाता को दोनो तकनीकी निविदा व वित्तीय प्रस्ताव अलग–अलग लिफाफे में सील कर प्रेषित करने होंगे)

अन्तर्महाविद्यालय (पुरूष व महिला) खेल प्रतियोगिता 2026–27 के लिए अल्पाहार, लंच हेतु खुली निविदा

1 . बोली प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति/फर्म का नाम व पता...

....

2. बोलीदाता फर्म हैं तो फर्म का प्रकार (एकल स्वामित्व फर्म/साझेदारी फर्म/संस्था/ ....

....

3. अधिकृत व्यक्ति का नाम व डाक का पता ....

....

4. मोबाईल/टेलिफोन नं. ....

5. खाद्य लाइसेन्स नं. अनिवार्य (प्रति संलग्न करें) ....

6. GST रजिस्ट्रेशन नं. अनिवार्य (प्रति संलग्न करें) ....

7. पेन नं. अनिवार्य (प्रति संलग्न करें) ....

8. बोली प्रपत्र शुल्क राशि (रू. 500 अनिवार्य) का विवरण डी.डी./बैंकर चैक सं.......................

दिनांक..................... राशि........................

9. बोली प्रतिभुति राशि (रू. 4000) का विवरण डी.डी./बैंकर चैक सं. ....
दिनांक .... राशि रू.....................

10. गत 05 वर्षो में राज्य सरकार/केन्द्र सरकार/अर्द्धसरकारी उपक्रम में भोजन एवं नाश्ता आपूर्ति करने के कार्यादेश का विवरण
(कार्यादेश की प्रति संलग्न करें)...

11. निविदा में उल्लेखित दरें निविदा खोलने से 90 दिन के लिये वैद्य होंगी।

12. बोलीदाता द्वारा गत् तीन वर्षो में किसी भी संस्था/विभाग द्वारा ब्लैक लिस्ट नही किये जाने हेतु निर्धारित प्रारूप में स्वघोषणा पत्र संलग्न करना होगा।

13. निविदा की शर्तो को पूर्ण रूप से पढ़ एवं समझ लिया हैं निविदा की सभी शर्ते मुझे/हमे स्वीकार हैं सभी शर्तो को मानने के लिये मैं/हम बाध्य होंगे।

14. निविदा प्रपत्र में उल्लेखित सभी तथ्य सही/सत्य हैं। निविदा प्रपत्र में साथ संलग्न समस्त प्रपत्र/सूचनायें सही हैं।

हस्ताक्षर निविदादाता.............................

दूरभाष/मोबाइल नं0.................................

प्रदाय की जाने वाली सामग्री का विवरण :–

क्र.सं.	कार्य का विवरण (दिनांक एवं समय)	मात्रा (अनुमानित व्यक्ति)
1.	ब्रेकफास्ट दिनांक 13/10/2026 सुबह 10:00 बजे) ब्रेड पकोडा, जलेबी, एक केला लंच दिनांक 13/10/2026 दोपहर 01:00 बजे) चपाती, मिक्स वेज दाल, जीरा चावल, सलाद पापड, बूंदी रायता, गुलाबजामुन	**100**
2.	ब्रेकफास्ट दिनांक 14/10/2026 सुबह 10:00 बजे) समोसा, सूजी हलवा लंच दिनांक 14/10/2026 दोपहर 01:00 बजे) छोला पुरी, चावल, दूध खीर, सलाद, रायता, पापड,	**100**
3.	ब्रेकफास्ट दिनांक 15/10/2026 सुबह 10:00 बजे) पोहा, इमरती लंच दिनांक 15/10/2026 दोपहर 01:00 बजे) चपाती, दमआलू, वेजी राइस सलाद, बूंदी रायता, बर्फी, पापड,	**100**
4.	ब्रेकफास्ट दिनांक 16/10/2026 सुबह 10:00 बजे) आलुबडा, जलेबी लंच दिनांक 16/10/2026 दोपहर 01:00 बजे) आलु मटर टमाटर सब्जी, पुरी, नमकीन, दूध की बूंदी, बूंदी रायता सलाद	**100**
5.	ब्रेकफास्ट दिनांक 17/10/2026 सुबह 10:00 बजे) खमण, कचौरी, जलेबी लंच दिनांक 17/10/2026 दोपहर 01:00 बजे) राजमा चावल, चपाती, मसाला भिंडी, वेजीटेबल रायता पापड, सलाद, गुलाबजामुन	**100**

नोट :–

1. **उक्त ब्रेकफास्ट व लंच के साथ पानी कैम्फर/पानी बोटल की व्यवस्था संवेदक को करनी होगी जिसके लिए पृथक से कोई भुगतान देय नही होगा।**
2. **उक्त निविदा सभी कर सहित है।**
3. **आईटमवाइज उक्त मात्रा प्रतिकात्मक है, मात्रा आवश्यकतानुसार घटाई व बढ़ाई जा सकती है।**
4. **निविदा में उल्लेखित दरें समस्त करो सहित हैं अलग से कोई राशि देय नहीं होगी।**

हमने/मैंने सभी शर्ते पढ ली है और समझ ली है जो कि मुझे /हमे स्वीकार है।

स्थान:
दिनांक:

हस्ताक्षर निविदादाता..................................

फर्म का नाम मय पता मोहर सहित

..

दूरभाष/मोबाइल नं0.................................

कोटा विश्वविद्यालय, कोटा

निविदा की विशिष्ट शर्ते

(बोलीदाता को निविदा की शर्तो को पूर्ण रूप से पढ़ एवं समझ लेना चाहिए निविदा प्रस्तुत करते समय पूर्ण पालना करनी होगी।)

1. निविदा पर आरटीपीपीपी अधिनियम 2012 व आरटीपीपीपी नियम 2013 एवं इस बाबत् राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेश प्रभावी होंगे।
2. अल्पाहार, लंच, की व्यवस्था कोटा विश्वविद्यालय परिसर पर आवश्यकतानुसार करनी होगी। जिसके लिये पृथक से परिवहन व्यय का भुगतान नही किया जावेगा।
3. इत्यादि उक्त कार्य को अनुमानित कीमत 02.00 लाख रू. हैं। जिसमें आवश्यकतानुसार कमी/बढ़ोतरी की जा सकती हैं।
4. बोली प्रपत्र रू. 500/– का बैंकर चैक/डी.डी. जो कार्यालय कुलसचिव, कोटा विश्वविद्यालय, कोटा के नाम से देय हो ।
5. निविदा प्रपत्र इच्छुक बोलीदाता निर्धारित बोली प्रपत्र www.uok.ac.in/sppp.rajasthan.gov.in से दिनांक 01.10.2026 से दिनांक 07.10. 2026 तक डाउनलोड कर सकते हैं। डी.डी. एवं बैंकर चैक की मूल प्रति निर्धारित तिथि व समय से पूर्व कार्यालय कुलसचिव, कोटा विश्वविद्यालय, कोटा, कोटा में प्रस्तुत करना आवश्यक होगा अन्यथा निविदा प्रस्ताव पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
6. निविदा में उल्लेखित दरें समस्त करो सहित होगी, अलग से कोई राशि देय नहीं होगी।
7. निविदादाता के पास खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत खाद्य लाईसेन्स होना अनिवार्य हैं। खाद्य लाईसेन्स की वैध प्रति निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा तथा सर्विस चार्ज हेतु आवश्यक पंजीयन का प्रमाण–पत्र संलग्न करना होगा। केटरिंग कार्य के संबध में विधि सम्मत नियमों की पालना फर्म को करनी होगी।
8. निविदादाता को सम्बन्धित कार्य का अनुभव होना चाहिए। जिसके अर्न्तगत गत 05 वर्षो में न्यूनतम रुपये 01.00 लाख का एक कार्यादेश अनिवार्य है। इस हेतु फर्म द्वारा राज्य सरकार/केन्द्र सरकार/अर्द्ध–सरकारी संस्थान से ऐसे कार्य हेतु कार्यादेश प्राप्त किया हो तो उसकी प्रति सलंग्न करें। ऐसे कार्य का अनुभव नहीं होने पर निविदा को निरस्त करने का अधिकार कुलसचिव, कोटा विश्वविद्यालय,कोटा को होगा।
9. निविदा में उल्लेखित आईटम्स के लिये कार्यादेश एक ही फर्म को जारी किया जावेगा। निविदा में उल्लेखित आईटम्स के लिये ज्यादा आईटम्स में जिसकी दर न्यूनतम होगी नियमानुसार नेगोसिऐशन उसी फर्म से किया जावेगा।
10. पूरी–सब्जी, कचौरी व नमकीन आईटम बनाने में ब्राण्डेड मूंगफली का तेल एवं बेसन के लड्डू/मोती चूर के लड्डू/बालूशाही आदि बनाने में देशी घी काम में लिया जाऐगा। खाद्य सामग्री निर्माण में काम लिया जाने वाले मूंगफली के तेल एवं देशी घी के पीपे प्रयोग से पूर्व कुलसचिव, कोटा विश्वविद्यालय,कोटा को दिखाया जाना होगा, उसकी सहमति के उपरांत ही प्रयोग में लिया जावेगा।
11. पूरी इत्यादि बनाने में एग्मार्क का आटा काम में लिया जाना अनिवार्य होगा।
12. सब्जियां ताजी व अच्छी क्वालिटी की होंगी। सब्जी में प्रयुक्त मसाले अच्छी क्वालिटी के होना अनिवार्य हैं। दही अच्छी क्वालिटी का व ताजा होना चाहिऐ, खट्टा नहीं होना चाहिऐ।
13. खाना आर.ओ. के स्वच्छ पानी में बनाया जावेगा।
14. पैकिंग हेतु गत्ते का डिब्बा/डिस्पोजल सामग्री अच्छे किस्म की होनी चाहिऐ ।

15. भोजन नाश्ता तैयार करने से पूर्व खरीद की गई सामग्री तथा तैयार की गई सामग्री की वितरण से पूर्व कुलसचिव, कोटा विश्वविद्यालय,कोटा के द्वारा उसकी गुणवत्ता की जांच की जावेगी।
16. चाय–नाश्ता/भोजन सामग्री निर्धारित मापदण्ड अनुसार नहीं होने व खराब होने पर उसका भुगतान नहीं किया जाऐगा तथा सही सामग्री दोबारा तैयार करवाकर देनी होगी।
17. सामग्री निर्धारित मात्रा में नहीं पाये जाने पर उपापन समिति द्वारा निर्धारित राशि की कटौती बिल से की जावेगी।
18. भोजन/चाय–नाश्ता आदि बनाने के लिए गैस भट्टी गैस–सिलेण्डर, बर्तन (बनाने, परोसने तथा क्राकरी एवं कटलरी सहित), लेबर एवं परिवहन की समस्त व्यवस्था निविदादाता की स्वयं की होगी। जिसका अलग से कोई भुगतान देय नहीं होगा।
19. भोजन/चाय–नाश्ता आदि बनाने के लिए स्थान के अतिरिक्त टेण्ट व लाईट की व्यवस्था अनुमोदित फर्म को स्वयं के स्त्रोत से करनी होगी।
20. भोजन/चाय–नाश्ता के अतिरिक्त अन्य कोई खाने के आईटम निविदादाता से मंगवाया जाऐगा तो सम्बन्धित विक्रेता का बिल प्रस्तुत करने पर बिल राशि का भुगतान निविदादाता को पृथक से कर दिया जावेगा।
21. भोजन/चाय–नाश्ता की सामग्री में अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा आवश्यकतानुसार कमी अथवा बढ़ोतरी की जा सकती हैं।
22. यदि निविदादाता समय पर आवश्यक चाय–नाश्ते या भोजन की आपूर्ति समय पर नहीं कर पाऐगा तो आवश्यक सामग्री प्रभारी अधिकारी द्वारा सीधे बाजार से क्रय कर आपूर्ति करवा ली जावेगी। जिसकी अन्तर राशि का भुगतान निविदादाता द्वारा करना होगा अन्यथा बिलों मे से नियमानुसार कटौती की जावेगी।
23. सप्लायर द्वारा कार्य संपादन पश्चात प्रस्तुत बिल का प्रमाणीकरण संबधित समिति संयोजक से करवाने के बाद निदेशक शारिरीक शिक्षा से प्रतिहस्ताक्षरित करवाकर प्रस्तुत करने के उपरान्त ही भुगतान किया जावेगा।
24. सम्पूर्ण निविदा प्रक्रिया को अथवा निविदा के किसी एक भाग को निरस्त करने का अधिकार कुलसचिव, कोटा विश्वविद्यालय,कोटा को होगा।
25. निविदा के सम्बन्ध में प्रथम अपील अधिकारी माननीय कुलपति महोदय को.वि.को., एवं द्वितीय अपील अधिकारी, प्रमुख शासन सचिव उच्च शिक्षा, राजस्थान सरकार होंगे।
26. निविदा प्रक्रिया के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार के न्यायिक परिवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र कोटा होगा।
27. निविदा दाता को प्रत्येक नियम शर्त को मानने के प्रमाण स्वरूप निविदा प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर मय सील करना अनिवार्य हैं।

हस्ताक्षर निविदादाता..................................

फर्म का नाम मय पता मोहर सहित

कोटा विश्वविद्यालय, कोटा

खुली निविदा की सामान्य शर्ते

कार्य का नाम :– अन्तर्महाविद्यालय (पुरूष व महिला) खेल प्रतियोगिता 2026–27 के लिए अल्पाहार, लंच हेतु खुली निविदा

1. खुली निविदा प्रस्तुत प्रपत्र मय संलग्नक व वांछनीय दस्तावेज के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करते हुए (मय सील) प्रस्तुत करनी होगी। इससे भिन्न रूप मे प्रस्तुत प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जाएगा।

(i) बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि बिड में भाग लेने से पूर्व टेन्डिरंग प्रक्रिया से सम्बन्धित सम्पूर्ण जानकारी के लिए पोर्टल पर उपलब्ध "uok.ac.in" से प्राप्त कर ध्यानपूर्वक पढ/समझ लेवें।

2. निर्धारित तिथि एवं समय पर निविदा को खोला जाकर निम्न मापदण्ड के आधार पर उसका परीक्षण किया जावेगा :–

   (i) बोली प्रपत्र शुल्क, बोली प्रतिभूति राशि (Bid Security)

   (ii) हस्ताक्षरित बोली प्रपत्र, शर्तें मय आवश्यक दस्तावेज व संलग्नक प्रस्तुत किये गये है। संलग्न प्रत्येक पृष्ठ पर मय सील हस्ताक्षर किया जाना आवश्यक है।

3. फर्म के गठन आदि में किसी भी परिवर्तन की सूचना क्रेता अधिकारी को लिखित में आपूर्तिकर्ता/सेवाप्रदाता ठेकेदार द्वारा दी जायेगी तथा इस परिवर्तन से संविदा के अधीन किसी भी दायित्व से, फर्म के पहले सदस्य को मुक्त नहीं किया जावेगा।
4. संविदा के संबंध में फर्म में किसी भी नए भागीदार/भागीदारों के ठेकेदार द्वारा फर्म में तब तक स्वीकार नहीं किया जायेगा जब तक कि वे इसकी समस्त शर्तों को मानने के लिये बाध्य नहीं हो जाते एवं क्रेता अधिकारी को इस संबध में लिखितनामा प्रस्तुत नहीं कर देते। प्राप्ति स्वीकृति के लिए ठेकेदार की रसीद या बाद में उपरोक्त रूप में स्वीकार की गयी किसी भागीदारी की रसीद उन सब को बाध्य करेगी तथा वह संविदा के किसी प्रयोजन के लिए पर्याप्त रूप से उन्मुक्ति (डिस्चार्ज) होगी।
5. **GST पंजीयन** :– निविदादाता का GST में पंजीयन होना आवश्यक है यदि किसी निविदादाता का GST में पंजीयन नहीं है तो निविदा स्वीकृति उपरान्त GST में पंजीयन करवाया जाना अनिवार्य होगा। सफल निविदादाता को GST में पंजीयन के उपरांत ही बिलो का भुगतान किया जावेगा।
6. बोली दाता फर्म अथवा मालिक का **PAN** कार्ड की फोटो प्रति संलग्न की जानी है।
7. बोली दाता फर्म को सम्बन्धित कार्य का अनुभव होना चाहिए। इस हेतु फर्म राज्य सरकार/केन्द्र सरकार/अर्द्धसरकारी/उपक्रम में ऐसे कार्य का अनुभव यदि हो तो प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करें।
8. आवेदक बोली प्रपत्र व संलग्न दस्तावेजों के प्रत्येक पृष्ठ पर समस्त निबंधनों एवं शर्तों को स्वीकार करने के प्रमाण में हस्ताक्षर कर मय मोहर प्रस्तुत करेगा।
9. आईटमवार दर वित्तीय निविदा प्रस्ताव में दिए गए फॉर्मेट में ही प्रस्तुत की जानी है। इससे भिन्न रूप में वित्तीय बिड प्रस्तुत किए जाने पर प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया जाएगा।
10. क्रयादेशानुसार दरें गंतव्य स्थान तक एफ.ओ.आर उद्धृत की जानी चाहिए तथा उनमें सभी अनुषांगिक प्रभारों को शामिल करना चाहिए। माल की सुपुर्दगी क्रेता अधिकारी के आदेशानुसार परिसरों पर दी जायेगी।
11. आवेदनकर्ता फर्म का कार्यालय कोटा में होना आवश्यक है। (प्रमाण पत्र संलग्न करें ।)
12. **विधिमान्यता** :– प्रस्तुत दरें तकनीक बोली खोले जाने की तारीख से तीन माह की अवधि के लिए विधिमान्य होंगी।
13. सफल आवेदक अपनी संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी को नहीं सौंपेगा या उप–भाड़े (सब लैट) पर नहीं देगा।
14. सशर्त प्रस्ताव स्वीकार नहीं किए जाएगें।
15. उपापन अधिकारी को बिना किसी कारण बताए किसी भी प्रस्ताव को आंशिक अथवा पूर्ण रूप से अस्वीकार करने का अधिकारी रहेगा।
16. **विनिर्देश** :–प्रदाय की गयी सभी वस्तुए निविदा में निर्धारित विनिर्देश, ट्रेडमार्क के पूर्णतया अनुरूप होगी तथा जहाँ पर वस्तुओं की आई.एस.आई. विनिर्देश के अनुरूप अपेक्षा की गयी हो, वहाँ उपमदों को पूर्णरूप से उप विनिर्देशों के अनुरूप होना चाहिए तथा उन पर वह मार्क होना चाहिए।

17. प्रदाय हेतु संविदा को यदि माल/सेवा का प्रदाय क्रेता अधिकारी की संतुष्टि के अनुसार नहीं किया जाता है, तो संवेदक को सुनवाई का एक युक्तियुक्त अवसर देने के बाद क्रेता अधिकारी किसी भी समय निरस्त कर सकता है। वह इस प्रकार निरस्त करने के कारणो को अभिलिखित करेगा।

18. आवेदक/संवेदक या उसके प्रतिनिधि की ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना पक्ष समर्थन कराना एक प्रकार की अनर्हता होगी।

19. (i)**सुपुर्दगी अवधि** :– बोली दाता, जिसकी दरें स्वीकार की जाएगी, उसे क्रेता अधिकारी द्वारा प्रदाय आदेश में वर्णित तिथि एवं समय पर सामग्री/सेवा प्रदाय करने की व्यवस्था करेगा। सामग्री/ सेवा विलम्ब से प्राप्त होने पर निविदा की शर्तों के अनुसार कटौती की जावेगी।

(ii) **मात्रा की सीमा – आदेश को फिर से देना** :– यदि बिड में दर्शित मात्रा से अधिक के लिये आदेश दिया जाता है तो संवेदक अपेक्षित मात्रा प्रदाय करने के लिये बाध्य होगा। पुनः आदेश भी दी गयी शर्तों एवं दरो पर दिए जा सकेगें। यदि संवेदक, ऐसा प्रदाय करने में असमर्थ रहता है तो क्रेता अधिकारी शेष सामान के प्रदाय की व्यवस्था सीमित निविदा द्वारा या अन्यथा प्रकार से करने के लिए स्वतंत्र होगा तथा जो भी अतिरिक्त लागत व्यय की जाएगी निविदादाता से वसूली की जाएगी।

(iii) यदि क्रेता अधिकारी किन्ही निविदत्त वस्तुओं/सेवाओं की खरीद नहीं करता है या निर्दिष्ट मात्रा से कम मात्रा में माल खरीदता है, तो संवेदक किसी क्षतिपूर्ति या क्लेम करने का हकदार नहीं होगा।

20. (क) बोली प्रतिभूति (Bid Security) के बिना निविदाओं पर विचार नहीं किया जाएगा। यह राशि कोटा विश्वविद्यालय, कोटा के पक्ष में ड्राफ्ट/ बैंकर चैक के रूप में मूल कॉपी निर्धारित समय एवं तिथि से पहले कार्यालय में जमा कराई जानी आवश्यक है।

(ख) बोली प्रतिभूति (Bid Security) **राशि का प्रतिदाय** :– असफल दरदाताओं की बोली प्रतिभूति (Bid Security) बोली को अन्तिम रूप से स्वीकार करने के बाद यथासम्भव शीघ्र लौटायी जायेगी।

(ग) **बिड सिक्युरिटी राशि से आंशिक छूट** :– उन फर्मों को जो निदेशक, उद्योग विभाग, राजस्थान के पास पंजीकृत हैं, उन मदों के सम्बन्ध में, जिनके लिए वे उक्त रूप में रजिस्टर्ड की गई हैं, उनके द्वारा मूल पंजीयन प्रमाण–पत्र या उसकी प्रमाणित फोटोस्टेट प्रति या किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा विधिवत अनुप्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने पर उन्हें नियमानुसार वित्त विभाग के आदेश दिनांक 19.11.2015 के प्रावधानानुसार निविदा शुल्क व बोली प्रतिभूति में छूट दी जाएगी।

(घ) केन्द्र सरकार एवं राजस्थान सरकार के उपक्रमों को बिड़ सिक्युरिटी प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।

21. **बोली प्रतिभूति (Bid Security) का समपहरणः**– बयाना राशि को निम्नलिखित मामलों में समपहरत कर लिया जाएगा

(i) जब बोलीदाता बोली खोलने के बाद किन्तु बोली को स्वीकार करने के पूर्व प्रस्ताव को वापस लेता है या उसमे रूपान्तरण करता है।

(ii) जब बोलीदाता विनिर्दिष्ट समय के भीतर विहित किसी करार को, यदि कोई हो, निष्पादित नहीं करता है।

(iii) जब बोलीदाता प्रदायगी के लिए आदेश देने के बाद प्रतिभूति राशि जमा नहीं कराता है।

(iv)जब वह विहित समय के भीतर प्रदाय आदेश के अनुसार मदों का प्रदाय प्रारम्भ करने में असफल रहता है।

22. (1) करार एवं प्रतिभूति निक्षेप : (i) सफल निविदादाता को आदेश के प्राप्त होने से 5 दिन की अवधि के भीतर संलग्न प्रारूप में रू. 500/– के नॉन–ज्यूडिसियल स्टाम्प पर एक करार पत्र निष्पादित करना होगा तथा जिन सामानों (स्टोर्स) के लिए निविदाएँ स्वीकार की गयी हैं, उनके मूल्य के 5 प्रतिशत के बराबर परर्फोमेन्स प्रतिभूति जमा करानी होगी। यह प्रतिभूति प्रेषण के उस दिनांक से जिसको निविदा के स्वीकार किए जाने की सूचना उसे दी गयी है, 3 दिन के भीतर जमा करायी जाएगी।

(ii) निविदा के समय जमा करायी गयी बिड़ सिक्युरिटी को परर्फोमेन्स सिक्युरिटी की राशि के लिए समायोजित किया जा सकेगा। परर्फोमेन्स सिक्युरिटी किसी भी दशा में बिड़ सिक्युरिटी से कम की नहीं होगी।

(iii) परर्फोमेन्स सिक्युरिटी पर विभाग/कार्यालय द्वारा कोई ब्याज का भुगतान नही किया जावेगा।

(iv) परर्फोमेन्स सिक्युरिटी/कार्य सम्पादन राशि निम्न प्रकार देय होगी :

(क) बैंक ड्रॉफ्ट ।

(ख) राष्ट्रीय बचत प्रमाण–पत्र, डिफेंस सेविंग्स सर्टिफिकेटस, किसान विकास पत्र या अल्प बचतों को प्रोत्साहन देने के लिए राष्ट्रीय बचत योजनाओं के अन्तर्गत कोई अन्य स्क्रिप्ट/विलेख यदि उन्हें गिरवी रखा जा सकता हो। इन प्रमाण–पत्रों को उनके समर्पण मूल्य (सरेण्डर वेल्यू) पर स्वीकार किया जाएगां।

(अ) एक बार की खरीद के मामले में क्रय आदेश के अनुसार मदों के अन्तिम प्रदाय से एक माह के भीतर तथा यदि सुपुर्दगी को सान्तर किया जाता है तो दो माह के भीतर उसकी संविदा के सन्तोषजनक रूप से पूर्ण कर दिए जाने के बाद या गारण्टी की अवधि, यदि हो, के समाप्त होने के बाद, जो भी बाद में हो, तथा इससे सन्तुष्ट हो जाने पर कि संवदेक के विरूद्ध कोई देय बकाया नहीं है। अनुबन्ध अवधि की समाप्ति उपरान्त प्रतिभूति राशि का प्रतिदाय किया जाएगा।

(2).**प्रतिभूति निक्षेप का समपहरण** :– प्रतिभूति की राशि को पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नांकित मामलों में समपहरत किया जा सकेगा :–

(क) जब संविदा के किन्ही निबंधनों और शर्तों का उल्लंधन किया गया हो।

(ख) जब संवेदक सम्पूर्ण प्रदाय संतोषजनक ढंग से करने में असफल हो रहा हों।

(ग) प्रतिभूति निक्षेप को समपहत करने के मामले में युक्तियुक्त समय पूर्व नोटिस दिया जाएगा। इस सम्बन्ध में क्रेता अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

(3). करार पत्र को पूर्ण करने एवं उस पर स्टाम्प लगाने के व्यय का भुगतान संवेदक द्वारा किया जाएगा तथा विभाग/कार्यालय को उस करार की एक निष्पादित स्टाम्प शुदा प्रतिपडत निःशुल्क दी जाएगी।

23. भुगतान करने पर किए गए प्रेषण प्रभार संवेदक द्वारा वहन किये जाएगें।

24. (i)क्रयादेश/आपूर्ति आदेश में सुपुर्दगी के लिए विनिर्दिष्ट समय को संविदा के सार रूप में समझा जाएगा तथा सफल निविदादाता क्रेता अधिकारी से स्पष्ट आदेश के प्राप्त होने पर निर्धारित अवधि के भीतर प्रदाय करेगा।

(ii)परिनिर्धारित नुकसानी :– परिनिर्धारित नुकसानी के साथ सुपुर्दगी अवधि में वृद्धि करने के मामलों में वसूली निम्नलिखित प्रतिशत के आधार पर उन सामानों के मूल्यों के लिए की जाएगी जिनका निविदादाता प्रदाय करने मे असफल रहा है :–

(क) विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिए 2.5 प्रतिशत

(ख) एक चौथाई अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि की आधी अवधि से अनाधिक के लिए 5 प्रतिशत

(ग) आधी अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि के तीन चौथाई से अनाधिक अवधि के लिए 7.5 प्रतिशत

(घ) विहित अवधि की तीन चौथाई से अधिक के विलम्ब के लिए 10 प्रतिशत।

25. **वसूलियाँ** :– परिसमापित नुकसानी, कम प्रदाय, टूट–फूट, रद्द की गयी वस्तुओं के लिए वसूली साधारण रूप से बिल मे से की जाएगी। प्रदायकर्ता नुकसानी, कम प्रदाय, टूट–फूट, रद्द किए गए मालों की सीमा तक राशि को भी रोका जा सकेगा तथा यदि प्रदायकर्त्ता संतोषजनक ढंग से उनको नही बदलता है तो परिसमापित नुकसानी के साथ वसूली उसकी देय राशि एवं विभाग के पास उपलब्ध प्रतिभूति निक्षेप से की जाएगी। यदि वसूली करना संभव न हो तो राजस्थान पी.डी. आर. एक्ट या प्रवृत किसी अन्य कानून के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी।

26. क्रेता अधिकारी किसी भी बोली प्रस्ताव को जो आवश्यक रूप से न्यूनतम दर की निविदा नहीं है, को स्वीकार करने या बिना कोई कारण बतलाये किसी भी बोली को रद्द करने या जिन वस्तुओं के लिए निविदादाता ने बोली दी है, उन सब के लिए या किसी एक या अधिक के लिए निविदा को स्वीकार करने या एक फर्म/प्रदायकार्ता से अधिक को सामान की मदों को वितरित करने के अधिकार को अपने पास आरक्षित रखेगा। किसी भी बोली को बिना कोई कारण बताये निरस्त करने का अधिकार कुलसचिव, कोटा विश्वविद्यालय, कोटा के पास सुरक्षित रहेगा।

27. यदि संविदा के निर्वचन, आशय या संविदा की शर्तों के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो पक्षकारों द्वारा मामले को विभागाध्यक्ष को भेजा जाएगा जो उस विवाद के लिए एकमात्र मध्यस्थ (सोल आबिट्रेटर) के रूप में अपने वरिष्ठतम उप– अधिकारी की नियुक्ति करेगा। यह उप–अधिकारी इस संविदा से सम्बन्धित नहीं हेागा तथ उसका निर्णय अन्तिम होगा।

28. समस्त विधिक कार्यवाहियां, यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो, किसी भी पक्षकार (सरकार या संवेदक) द्वारा कोटा स्थित न्यायालय में ही की जाएगी, अन्यत्र नहीं की जाएगी।

29. बोली के क्रम में प्रथम अपील अधिकारी माननीय कुलपति को.वि.को., कोटा तथा द्वितीय अपील अधिकारी प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा शासन सचिवालय राजस्थान सरकार जयपुर ।

30. भुगतानः– भुगतान हेतु फर्म द्वारा तीन प्रतियों में बिल प्रस्तुत किया जायेगा। बिल के साथ कार्यादेश की प्रति संलग्न की जायेंगी।

31. कीमत गिरने का खण्ड : दर अनुबन्ध में दरें कीमतें गिरने के खण्ड के अध्यधीन होंगी। यदि दर अनुबन्ध धारक दर अनुबन्ध चालू रहने के दौरान किसी भी समय राज्य में किसी को दर अनुबन्ध कीमत से कम कीमत पर समान माल, संकर्म या सेवायें देने हेतु दर कोट/कम करता है तो उस दर अनुबन्ध के अधीन उपापन की विषय वस्तु के समस्त परिदान के लिये दर अनुबन्ध कीमत, कीमत कम करने/कोट करने की दिनांक से स्वतः कम हो जावेगी और दरें तद्नुसार संशोधित की जाएगी। समानान्तर दर अनुबन्ध धारण करने वाली फर्मों को भी कम की हुई कीमत अधिसूचित करके अपनी कीमत कम करने का अवसर देते हुए पुनरीक्षित कीमत से उनकी स्वीकारोक्ति से सूचित करने के लिए 03 दिवस का समय दिया जावेगा। इसी प्रकार यदि कोई समानान्तर दर अनुबन्ध धारक फर्म दर अनुबन्ध के चालू करने के दौरान अपनी कीमत कम करती है तो उसकी कम की हुई कीमत अन्य समानान्तर दर अनुबन्ध धारक फर्मों एवं मूल अनुबन्ध धारक फर्म को अपनी कीमत तत्समान करने के लिए संसूचित की जावेगी। यदि कोई दर अनुबन्ध फर्म कीमत कम करने से सहमत नहीं होती है तो उसके आगे कोई संव्यवहार नहीं किया जावेगा।

32. आर.टी.पी.पी. अधिनियम 2012 व आर.टी.पी.पी. नियम 2013 तथा सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के समस्त आवश्यक प्रावधान इस निविदा पर लागू होगें।

33. उक्त बिड व इस हेतु जारी एन0आई0बी0 व उसमें अंकित शर्तें भी अनुबन्ध का भाग मानी जाएगी।

34. भुगतान पर नियमानुसार प्रचलित करों की कटौती की जावेगी।

35. सशर्त निविदा स्वीकार्य नही होगी। किसी भी निविदा को बिना कारण बताये आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से निरस्त करने का अधिकार कुलसचिव, कोटा विश्वविद्यालय, कोटा को होगा।

36. विनिर्देश :–

(i) प्रदाय की गयी सभी वस्तुए निविदा में निर्धारित विनिर्देश, ट्रेडमार्क के पूर्णतया अनुरूप होगी तथा जहॉ पर वस्तुओं की आई.एस.आई. विनिर्देश के अनुरूप अपेक्षा की गयी हो, वहां उपमदों को पूर्णरूप से उप विनिर्देशों के अनुरूप होना चाहिए तथा उन पर वह मार्क होना चाहिए।

हस्ताक्षर निविदादाता मय सील

Annexure -A

Compliance with the code of integrity and no conflict of interest

Any person participating in a procurement process shall-

(a) Not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process.

(b) Not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation.

(c) Not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency , fairness, and progress of the procurement process.

(d) Not misuse any information shared between the procuring entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process.

(e) Not indulge in any correction including impairing or threatening to do the same , directly or indirectly , to any party or to its property to influence the procurement process.

(f) Not obstruct any investigation or audit of a procurement process.

(g) Disclose conflict of interest, if any, and

(h) Disclose any previous transgressions with any entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of Interest:-

The Bidder participating in a bidding process must have a conflict of interest.

A Conflict of interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligation, or compliance with applicable laws and regulations.

I. A Bidder may be considered to be in conflict of interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to;

a. Have Controlling partners/shareholders in common; or
b. Receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
c. Have the same legal representative fro purpose of the bid; or
d. Have the relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access have to information about or influence on the bid of another Bidder, or influence the decision of the procuring entity the bidding process; or
e. The Bidder participates in more than one bid in a bidding process. Participation by a Bidder in more than one bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However this does not limit the inclusion of the same subcontractor , not otherwise participating as Bidder, in more than one Bid; or
f. The Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specification of the goods, works or service that are the subject of the Bid; or
g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the procuring entity as engineer-in-charge /consultant for the contract.

Place :

Date

Signature of the Bidder with seal

Annexure –B

Declaration by the Bidder regarding qualifications

In relation to my/our Bid submitted to ………………………………………….. for procurement of …………………………………………….. in response to their Notice Inviting Bids No. ………………………………………. Dated ………………….. I/We hereby declare under section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act , 2012, that:

1. I/We possess the necessary professional, technical , financial and managerial resources and competence required by the Biding Document issued by the Procuring Entity;
2. I/We have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the union and the State Government or any local authority as specification in the Bidding Document;
3. I/We have are not insolvent in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administrated by a court or a judicial officer , not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceeding for any of the foregoing reasons;
4. I/We do not have, and our directions and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conducted or the making of false statement or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceeding;
5. I/We do not have a conflict of interest as specification in the Act, Rules and the bidding document, which material affects fair competition;

Date:
Place:

Signature of bidder with seal
Name
Designation
Address:

Annexure C

Grievance redressal during procurement process

The designation and the address of the first appellate authority is Hon'ble V.C. UOK, Kota.
The designation and the address of second Appellate Authority is The Principal Secretary Higher Education, GoR

(1) Filing an appeal

If any bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision , action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the act or the rules or the Guidelines issued there under, he may file am appeal to first Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved:

Providing that after the declaration of a bidder as successful the appeal may be filled only by a bidder who has participated in procurement proceeding:

Providing further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filled only by a Bidder whose Technical Bid id found to be acceptable.

(2) The officer to whom an appeal is filled under para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavourer to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.

(3) If the officer designated under para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in para (2), or if the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to second Appellate Authority specified in the Bidder Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in para (2) or of the date of receipt of the order passed by the first Appellate Authority, as the case may be.

(4) Appeal not to lie in certain cases

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely:-

(a) Determination of need of Procurement
(b) Provisions limiting participating of Bidders in the Bid process;
(c) The decision of whether or not to enter into negotiations;
(d) Cancellation of a procurement process ;
(e) Applicability of the provisions of confidentiality

(5) Form of appeal

(a) An appeal under para (1) or (3) above shall be in the annexed form along with as many copies as there are respondents in the appeal.
(b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payments of fee.
(c) Every appeal may be presented to first Appellate Authority or Second Appellate Authority , as the case may be, in person or through registered post or authorized representative.

(6) Fee for Filling Appeal

(a) Fee for first appeal shall be two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand , which shall be non refundable.

(b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

(7) Procedure for disposal of appeal

(a) The first Appellate Authority or Second Appellate , as the case may be upon filing of appeal, shall issued notice accompanied ny copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.

(b) On the date of fix hearing, the First Appellate Authority or second Appellate Authority , as the case may be shall,-

  (i) Hear all the parties to appeal present before him; and

  (ii) Peruse or inspect documents , relevant records or copies thereof relating th the matter

(c) After hearing the parties , perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.

(d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

Signature of the Bidder with seal

Additional conditions of contract

1. Correction of arithmetical errors

Provided that a Financial Bid is substantially responsive, that Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis:

i. If there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quality , the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion in the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected;

ii. If there is a error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and

iii. If there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accepted the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Deceleration shall be executed.

2. **Procuring Entity's Right to very Quantities**.

i. At the time of award of contract, the quantity of goods, works or services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit price or other terms & conditions of the Bid and the conditions of contract.

ii. If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the conditions of contract.

iii. In case of Procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However , the additional quantity shall not be more than 25% of the value of Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the Service Provider fail to do so, the Procurement Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the Service Provider.

3. Dividing quantities among one than more Bidder at the time of award (In case of procurement of Goods)

As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured for the Bidder, whose Bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the

capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and visit nature, the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid is accepted and the second lowest Bidder or even more Bidders in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the Bidder, whose Bid is accepted.

Signature of the Bidder with seal

कोटा विश्वविद्यालय, कोटा

बोलीदाता द्वारा घोषणा

मैं/हम घोषणा करता हूं/करते हैं कि मैं/हमारी फर्म खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत खाद्य लाईसेन्सधारी है।

मैं/हम घोषणा करता हूं/करते हैं कि मैंने/हमने अल्पाहार एवं भोजन व्यवस्था कार्य की आपूर्ति का कार्य जहां कहीं भी किया हैं, उस कार्य हेतु विगत 3 वर्षों में कार्य समय पर पूर्ण नहीं करने के कारण हमें किसी भी सरकारी विभाग/उपक्रम/कंपनी द्वारा ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया हैं।

उपर्युक्त घोषणा असत्य पाये जाने पर कुलसचिव कोटा विश्वविद्यालय, कोटा को बकाया राशि के समप्रहरण सहित नियमानुसार विधिक कार्यवाही करने का अधिकार होगा।

दिनांक :

हस्ताक्षर निविदादाता.....................................

फर्म का नाम मय पता मोहर सहित

...

दूरभाष/मोबाइल नं0...

कोटा विश्वविद्यालय, कोटा

कबीर सर्किल के पास, महाराव भीम सिंह मार्ग, कोटा

वित्तीय प्रस्ताव पार्ट–ब

NIB No. 23/2026-27

1. Name of Bidder:-…………………………………………………………………..
2. Full Address:-…………………………………………………………………….
3. Telephone No.:-………………………………………………………………….

Work Description.:- **अन्तर्महाविद्यालय (पुरूष व महिला) खेल प्रतियोगिता 2026–27 के लिए अल्पाहार, लंच हेतु खुली निविदा**

काउण्टर पर उपलब्ध करवाये जाने वाली सामग्री हेतु न्यूनमत प्रस्तावित दरें :–

क्र. सं.	कार्य का विवरण (दिनांक एवं समय)	अनुमानित संख्या	मात्रा दर हेतु ईकाई	दरे प्रति प्लेट समस्त करों सहित राशि रूपये में	कुल राशि समस्त करों सहित रू में
1.	**अल्पाहारः–** दिनांक 13 से 17 अक्टूबर 2026 **मीनू** : निविदा अनुसार पृष्ठ सं. 3 (पानी कैम्पर/पानी बोटल की व्यवस्था सहित दर अंकित करे) (अनुमानित संख्या 100x5=500)	100x5=500	प्रति प्लेट		
2.	**लंचः–** दिनांक 13 से 17 अक्टूबर 2026 **मीनू** : निविदा अनुसार पृष्ठ सं. 3 (पानी कैम्पर/पानी बोटल की व्यवस्था सहित दर अंकित करे) (अनुमानित संख्या 100x5=500)	100x5=500	प्रति प्लेट		
			कुल योग (अंको में एवं शब्दों में)		

निविदा दाता का नाम एवं हस्ताक्षर मय सील